न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक राज0

(श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या :– 218/2020 | निर्णय दिनांक :– 25.09.2020

1. ~~शुभम~~ अग्रवाल पुत्र दिनेश अग्रवाल जाति महाजन निवासी देवली तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. कुसुम पत्नी दिनेश अग्रवाल जाति महाजन निवासी देवली तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थीगण–

–बनाम–

तहसीलदार महोदय, तहसील देवली जिला टोंक राज0।

–अप्रार्थी–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर0टी0एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पंचायत समिति देवली में आयोजित कैम्प कोर्ट में पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खसरा नम्बर 4181/223 रकबा 0.25 है0, ख. नं. 4182/223 रकबा 0.25 है0 एवं खसरा नम्बर 4183/223 रकबा 0.12 है0 वाके ग्राम पनवाड़ पटवार हल्का पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज0 में स्थित है। प्रार्थीगण एक परिवार के सदस्य है तथा प्रार्थीगण उक्त वर्णित आराजी भूमि काफी समय से आम रास्ता खसरा नम्बर 79 से सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 213 मे से होकर आते जाते रहे है तथा उपयोग उपभोग करते आ रहे है परन्तु अब प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात मे आने वाले उक्त रास्ते की भूमि को कुछ प्रभावशाली लोगो ने अतिक्रमण कर बंद कर दिया है जिससे प्रार्थीगण को अपनी उक्त आराजीयात पर आने जाने मे काफी परेशानी हो रही है तथा रास्ते के अभाव मे प्रार्थीगण अपनी खातेदारी को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात पर आने जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थीगण नियमानुसार एवं आदेशानुसार राशि जमा कराने को तैयार है। अतः प्रार्थना अ0धारा 251ए आर टी एक्ट मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खसरा नम्बर 4181/223 रकबा 0.25 है0, खसरा नम्बर 4182/223 रकबा 0.25 है0 एवं खसरा नम्बर 4183/223 रकबा 0.12 है0 वाके ग्राम पनवाड़ पटवार हल्का पनवाड़ तहसील देवली जिला टोंक राज0 पर आने जाने के लिये आम रास्ता

खसरा नम्बर 79 से सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 213 मे से होकर 10 मीटर चौड़ा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की गई जिसके अनुसार प्रार्थी की आराजी में पहुंचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रार्थी को चाहे जाने वाले रास्ते का ख. नं. 213 में से प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 36 मीटर चौड़ाई 9.14 मीटर होगी व क्षेत्रफल 329.04 वर्गमीटर होगा। यह एन. एच. 12 से 200 से 500 मीटर की रेंज में आता है। प्रस्तावित रास्ते की डी0एल0सी0 दर 21340.67 रूपया प्रति एअर है। कुल 3.30 X 21340.67 = 70425 X 2 =140850 रूपये जमा योग्य राशि है। प्रार्थी ख. नं. 213 में से रास्ता चाहता है जिसे लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया है। अप्रार्थीगण रास्ता देने हेतु सहमत नहीं है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है। संलग्न 1. भू. अनि0 रिपोर्ट 2. नक्शा ट्रेस दो प्रति 3. जमाबन्दी

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण व पेरोकार सरकार से बहस सुनी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार देवली ने भी अपनी रिपोर्ट में यह माना कि प्रार्थी के पास उसकी आराजी को रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है और प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी पर पहुंचने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। यद्यपि प्रार्थी सिवायचक भूमि से आता जाता रहा है परन्तु अब इस रास्ते को प्रभावशाली लोगो ने बन्द कर दिया है और प्रार्थीगण निहायती शरीफ व सीधे साधे लोग है जो लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते है। जिसके कारण प्रार्थी को अपने आराजी में पहुंचने हेतु सरकार से सिवायचक भूमि से रिकॉर्डेड रास्ते की आवश्यकता है ताकि प्रार्थी अपनी आराजी भूमि में आसानी से पहुंच सके और कृषि कार्य कर सके। प्रार्थी इसके लिए दुगनी प्रतिकर राशि जमा कराने को तैयार है।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में बताया कि रिपोर्ट के तथ्यो को ही दोहराया।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। तहसीलदार देवली ने अपनी रिपोर्ट में रास्ते की

आवश्यकता आत्यन्तिक बताई है और आवेदित रास्ते के मध्य कोई संरचना पेड़, दीवार व अन्य कोई कीमती मकान नही बताया है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि ख. नं. 4181/223 रकबा 0.25 है0, ख. नं. 4182/223 रकबा 0.25 है0, ख. नं. 4183/223 रकबा 0.12 है0, जिसमें कृषि कार्य करने हेतु आने जाने के लिए प्रार्थी रास्ता चाहता है। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस व प्रार्थना पत्र में बताया कि ख. नं. 213 सिवायचक भूमि है जिस पर गिरोहबन्द लोग अतिक्रमण कर लेते है और प्रार्थी को अपनी जोत में आने जाने पर बाधा उत्पन्न करते है। इसलिए रिकॉर्डेड रास्ते की सख्त आवश्कता है। उक्त के विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी में जाने के लिए कोई पहुंच मार्ग नहीं है और प्रार्थी की आवश्कता अत्यधिक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार देवली को आदेशित किया जाता है कि रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शित अनुसार रास्ता खसरा नम्बर 213 में जिसकी चौड़ाई 9.14 मीटर एवं लम्बाई 36 मीटर अर्थात 329.04 वर्गमीटर क्षैत्रफल के रास्ते की तरमीम प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार डी.एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि 140850/– अथवा वर्तमान डी.एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि जमा करवाकर, राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर, की गई तरमीम सहित पालना चरिपोर्ट न्यायालय हाजा में पेश 15 दिवस में पेश करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली